पत्रांक– 15/जी 1–02/2015
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ0 (प्रो0) खालिद मिर्जा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

पटना, दिनांक 2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के लिए माह नवम्बर, 2015 से फरवरी, 2016 तक के वेतनादि/वेतनादि के अलावा मद में रूपये 37,30,84,414/– (सैंतीस करोड़ तीस लाख चौरासी हजार चार सौ चौदह रू0) मात्र की विमुक्ति के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या–15/जी 1–01/2015– 65 दिनांक–07.09.2015 के द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह मार्च, 2015 से फरवरी, 2016 तक के लिए वेतनादि मद में भुगतान हेतु रूपये 1382,76,19,208/– (एक हजार तीन सौ बेरासी करोड़ छिहत्तर लाख उन्नीस हजार दो सौ आठ रू0) मात्र एवं माह जनवरी, 2015 एवं फरवरी, 2015 के लिए 6 प्रतिशत की दर वर्द्धित महंगाई भत्ते के अंतर राशि रूपये 7,49,39,910/– (सात करोड़ उन्चास लाख उन्चालीस हजार नौ सौ दस रू0) मात्र अर्थात कुल रूपये 1390,25,59,118/– (एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ पच्चीस लाख उनसठ हजार एक सौ अठ्ठारह रू0) मात्र एवं स्वीकृत पद पर विधिवत् रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के पेंशनादि एवं सेवानिवृत्त लाभ के मद में रूपये 629,05,83,267/– (छः सौ उन्नतीस करोड़ पाँच लाख तेरासी हजार दो सौ सड़सठ रू0) मात्र तथा जनवरी, 2015 एवं फरवरी, 2015 के लिए 6 प्रतिशत के दर से वर्द्धित महंगाई राहत की अन्तर राशि रूपये 2,95,33,254/– (दो करोड़ पन्चानवे लाख तेंतीस हजार दो सौ चौवन रू0) मात्र अर्थात कुल रूपये 632,01,16,521/–(छः सौ बत्तीस करोड़ एक लाख सोलह हजार पाँच सौ एक्कीस रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अर्थात उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा कुल रूपये 2022,26,75,639/– (दो हजार बाईस करोड़ छब्बीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनचालीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत राशि में से जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/ अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/वेतनादि के अलावा मद में राज्यादेश संख्या–15/जी1–01/2015–65 दिनांक–07.09.2015 की कंडिका–4 में अंकित शर्तो एवं बंधेजों के अधीन माह नवम्बर, 2015 फरवरी, 2016 तक के लिए कुल रूपये 37,30,84,414/– (सैंतीस करोड़ तीस लाख चौरासी हजार चार सौ चौदह रू0) निम्न रूपेण विमुक्त की जा रही है:–

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	वेतनादि मद की राशि (नवम्बर,2015 से फरवरी, 2016)	वेतनादि के अलावा मद की राशि (नवम्बर,2015 से फरवरी, 2016)	कुल राशि (नवम्बर,2015 से फरवरी, 2016)
01	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	24,70,27,918	12,60,56,496	37,30,84,414

(सैंतीस करोड़ तीस लाख चौरासी हजार चार सौ चौदह रूपये मात्र)

3. I. राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत पदनामित प्रयोग प्रदर्शक (Re-Designated Demonstrator) के लिए विभागीय पत्रांक 1893 दिनांक 22.10.2013 तत्संबंधी शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1964 दिनांक 31.10.2013 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा अवमाननावाद संख्या– 1788/2011 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रयोगशाला से जुड़े कर्मियों को जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होकर कार्यरत हैं तथा जिन्हें पूर्व में प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया था को सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना में शिक्षकेत्तर कर्मियों के रूप में रूपये 9300–34800/– के वेतन बैंड में ग्रेड पे रूपये 4200/– के गणना के आधार पर राशि विमुक्त की जा रही है।

II. इसी प्रकार राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में विधि संकाय में कार्यरत अंशकालिन व्याख्याताओं (पी0टी0एल0) को जिन्हें यू0जी0सी0 द्वारा विहित आहर्त्ता प्राप्त हो तथा राज्यपाल सचिवालय द्वारा गठित परिनियम में निर्धारित शर्त्तो एवं मापदण्डों की पूर्ति करते हों के लिए विभागीय पत्रांक 186 दिनांक 03.02.2014 के आलोक में पुनरीक्षित दर प्रति क्लास 1000/– रूपये एवं अधिकत्तम नियत वेतन 25000/– रूपये प्रतिमाह की दर से गणना कर राशि विमुक्त की जा रही है।

4. विमुक्त की गयी राशि से वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान मात्र वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही किया जाये जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं अथवा सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

चतुर्थ चरण में नवअंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि की गणना की गई है, जो जस्टिस एस0सी0 अग्रवाल समिति के प्रतिवेदन एवं सिविल अपील संख्या 6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशंसित पद के विरूद्ध नियुक्त हों।

5. विमुक्त की गयी राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है,उनके वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवा निवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है ।

6. विमुक्त की जा रही राशि से शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अन्य मदों में की गई कटौतियों को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किये जाने की कार्रवाई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद ही अगले माह की देय राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी । अगर वर्णित सत्यापित विवरणी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है तो उक्त स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की विमुक्ति सत्यापित विवरणी प्राप्त होने तक स्थगित की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा ।

7. विमुक्त की जा रही राशि को महाविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर नियोक्ता के रूप में सुनिश्चित हो लिया जाये कि महाविद्यालय को विधिमान्य अनुमान्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किसी अन्य कारणों से अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण के कारण नहीं किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

वेतनमान से अधिक वेतनमान में किसी भी कर्मी को उच्चस्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

8. विभागीय पत्र संख्या– 21/नि0(उ0शि0),दिनांक 18.02.2006 के आलोक में उपरोक्त विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक में संधारित उनके खाता में अन्तरण की जायेगी ।

9. विमुक्त की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 फार्म 42 ए0 में अंकेक्षित लेखा के साथ (चाटर्ड एकांटेंट से अंकेक्षण प्रतिवेदन) विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् ही अगले माहों के लिए वेतनादि/पेंशनादि हेतु राशि विमुक्त की जायेगी । उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना होगा कि विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है ।

10. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण)विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें ।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(डॉ0 (प्रो0) खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक 15/जी 1–02/2015.....569..../ पटना,दिनांक.....21.3.../2016

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवनाक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सभी उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/ प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा सभी सहायक एवं लेखापाल तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा (उ0शि0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई0टी मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

Khalid Mirza 21.3.16
(डॉ0 (प्रो0) खालिद मिर्जा)
निदेशक, उच्च शिक्षा

Details of Expenditure for Jai Prakash University, Chapra for the Month of November 2015 to February, 2016 (with 113% D.A)

SL No.	Name of the College/ Deptt.	Total Teaching Posts (Sanctioned)	Total Teaching Posts (Working)	Total Working Teaching Posts Admissible For Calculation	Total Admissible Amount for Teaching for One Months	Sanctioned Post			Working Post			Working as Admissible			Amount		
						NT (Excluding Lab Personnel IIIrd Grade)	Lab Personel (IIIrd Grade)	Lab Personel on Staffing Pattern (IIIrd Grade)	NT (Excluding Lab Personnel IIIrd Grade)	Lab Personel (IIIrd Grade)	Lab Personel on Staffing Pattern (IIIrd Grade)	NT (Excluding Lab Personnel IIIrd Grade)	Lab Personel (IIIrd Grade)	Lab Personel on Staffing Pattern (IIIrd Grade)	Total Admissible Amount for NT for One Months	Total Admissible Amount of One Months for Teaching & Non-Teaching	Total Admissible Amount of four Months for Teaching & Non-Teaching
1	University Head Quarter & allied unit					77	0	0	29	0	0	28	0	0	1278267	1278267	5113068
2	P.G. Deptt.	63	37	37	4379545	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4379545	17518180
3	BPS College, Bhore	21	8	8	1169097	24	0	3	12	0	1	11	0	1	367232	1536329	6145316
4	DAV College, Siwan	87	31	31	3831400	74	0	0	25	0	0	25	0	0	777490	4608890	18435560
5	Ganga Singh College, Chapra	29	8	8	920193	17	0	0	6	0	0	6	0	0	178263	1098456	4393824
6	Gopalganj College, Gopalganj	39	16	16	2034423	47	0	2	42	0	0	42	0	0	1195559	3229982	12919928
7	Gopeshwar College, Hathwa	41	11	11	1289734	21	0	0	18	0	0	16	0	0	413570	1703304	6813216
8	H.R. College, Amnaur	22	6	6	749057	20	0	2	7	0	0	7	0	0	214044	963101	3852404
9	H.R. College, Mairwa	17	4	4	570627	27	0	3	18	0	2	11	0	2	602120	1172747	4690988
10	J.P. Mahila College, Chapra	35	15	15	2076280	26	0	0	8	0	0	8	0	0	255075	2331355	9325420
11	Jagdam College, Chapra	83	33	33	4085231	66	0	3	33	0	2	33	0	2	1126037	5211268	20845072
12	Jaglal Chaudhary College, Chapra	26	8	8	927487	18	0	0	9	0	0	9	0	0	275215	1202702	4810808
13	Mahendra Mahila College, Gopalganj	10	5	5	652548	9	0	0	5	0	0	5	0	0	155498	808046	3232184
14	NLS College, Jalalpur-Daudpur	32	7	7	758148	27	0	0	10	0	0	10	0	0	334512	1092660	4370640
15	Narayan College, Goria Kothi	31	8	8	1189631	47	0	4	27	0	1	27	0	1	821466	2011097	8044388
16	P.C. Vigyan College, Chapra	26	8	8	1106936	4	0	0	4	0	1	4	0	0	119717	1226653	4906612
17	P.N. College, Parsa	34	7	7	969344	35	0	0	15	0	0	15	0	0	411696	1381040	5524160
18	R.B.G.R. College, Maharajganj	35	10	10	1236989	24	0	1	8	0	0	8	0	0	215918	1452907	5811628
19	Raja Singh College, Siwan	30	15	15	1996156	9	0	1	4	0	0	4	0	0	117092	2113248	8452992
20	Rajendra College, Chapra	157	41	41	5476083	141	0	2	33	0	2	33	3	2	1071239	6547322	26189288
21	Ram Jaipal College, Chapra	39	18	18	2292867	35	0	0	17	0	0	17	0	0	509399	2802266	11209064
22	Vidya Bhawan Mahila College, Siwan	27	14	14	1955318	26	0	5	15	0	5	15	0	5	529272	2484590	9938360
23	Y.N. College, Dighwara	29	11	11	1369858	12	0	0	6	0	0	6	0	0	193704	1563762	6255048
24	Z.A. Islamia College, Siwan	87	74	74	7987811	63	6	1	58	5	1	54	[illegible]	1	1865181	9852992	39411968
25	P.R. College, Sonepur	13	8	8	1165178	0	3	0	0	1	0	0	1	0	62930	1228108	4912432
	Total:-	1013	403	403	50189941	903	9	27	409	6	15	40[illegible]	6	14	13090696	63280637	253122548
26	Pension & Post Retiral Benefits															29383549	117534196
															Total:-	92664186	370656744

Thirty seven crore six lac fifty six thousand seven hundred forty four only

21.3.16

निदेशक (उ०शि०)